

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - एफ 1(92) पीएस / निकाशि / 13 / पार्ट / 232


दिनांक - 04-12-2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 के तहत नियुक्त संकाय सदस्य के लिए आचार्य पद पर पदोन्नति (सीएस योजनान्तर्गत) से संबंधित आवेदन पत्रों में API अंकों की गणना के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गतलेख है कि -

1. आवेदन पत्रों में API अंकों की गणना करते समय केटेगरी I एवं II में संलग्नकों के स्थान पर महाविद्यालय में किये गए कार्यों एवं परीक्षा कार्य के सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा स्व घोषणा ही पर्याप्त होगी।
2. API अंकों की गणना में PB-IV के पश्चात् PB-IV व 01.04.2018 के मध्य किन्हीं भी वर्षों की ली जा सकेगी।
3. केटेगरी III हेतु समस्त शोध कार्य के साक्ष्य, सेमिनार/ कॉन्फ्रेंस के प्रमाण पत्र, पब्लिकेशन की प्रतियाँ आदि लगाना अनिवार्य होगा।



(सन्देश नायक)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, शासन सचिव उच्च शिक्षा, विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग सचिवालय
3. निजी सचिव आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वेबसाइट प्रभारी - कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. रक्षित पत्रावली।


04/12/2020
(डॉ. आर. सी. मीना)

संयुक्त निदेशक(एच आर डी)

कॉलेज शिक्षा राजस्थान